उपायुक्त का कार्यालय, दुमका।
(जिला विधि शाखा)
विधि सलाहकार हेतु पैनल निर्माण के लिए विज्ञापन

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के आदेश ज्ञापांक 303 दिनांक 16/01/2018 के द्वारा प्रत्येक जिला के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में अपराधिक वादों में सशक्त अभियोजन की कार्रवाई के लिए दो विधि सलाहकार को एक वर्ष या सहायक लोक अभियोजक के रिक्त पदों पर नियुक्ति होने तक के लिए संविदा पर रू0 1000/-(एक हजार) के दैनिक शुल्क पर पूर्णकालीक आधार पर नियुक्ति किये जाने का निर्देश प्राप्त हैं।

उक्त निर्देश के आलोक में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यताएँ एवं अर्हताएँ नीचे अंकित है :-

1. विधि स्नातक
2. प्रैक्टिस करने के लिए न्यायालय का निबंधन
3. कम्प्यूटर का अतिरिक्त अनुभव
4. इसके अतिरिक्त Cr.Pc की धारा 24(7) के अनुरूप कम से कम तीन वर्षो तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसायरत रहना आवश्यक हैं।

5. **शर्त :-**
   1. योग्य अभ्यार्थी दिनांक 14.08.2018 तक recruitment.jharkhand.gov.in पर ऑन लाईन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
   2. आवेदन समर्पित करने के लिए रू0 100/- शुल्क निर्धारित हैं। शुल्क का भुगतान Online करना होगा।
   3. आवेदन के साथ सभी प्रमाणपत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक है। अधूरे आवेदन तथा बिना प्रमाणपत्र एवं बिना शुल्क के साथ प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
   4. आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि के बाद साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी।
   5. परीक्षा कुल 100 अंक का होगा जिसका निर्धारण निम्न प्रकार से की जायगी।

➢ **100 अंक :-**

(क) IPC (भारतीय दण्ड संहिता) -20 अंक
(ख) CRPC (दण्ड प्रक्रिया संहिता) -20 अंक
(ग) Evidence Act (साक्ष्य अधिनियम) -20 अंक
(घ) Indian Constitution (भारतीय संविधान) -20 अंक
(ङ.) विधि से संबंधित विविध प्रश्न। -20 अंक
क्रमांक क से ङ. तक वर्णित विषयो से संबंधित साक्षात्कार आधारित होगा।
(च) Computer Skill Test (हिन्दी एवं अंग्रेजी) अर्हतांक प्रकृति के होंगे।

6. मेधा सूची -सह- प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन दुमका जिला के वेबसाईट dumka.nic.in पर कर दिया जायेगा।
7. कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र, निदेश एवं नियमावली अनुकरणीय होगा।
8. विज्ञापन को रद्ध करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

24/07/18

उपायुक्त,
दुमका।